न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 43/2016/टीए

1. रामलाल पिता भैरू मीणा
2. रतनलाल पिता भैरू मीणा
3. नानी बाई पत्नि भैरू मीणा
   तीनो निवासी अमरपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. प्रेमबाई पत्नि जगदीश चन्द्र नाई
2. गोपाली पुत्री जगदीश चन्द्र नाई
   दोनो निवासी अमरपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध प्रार्थना पत्र निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 01.06.2016 प्रकरण सं. 2368/2015

उपस्थित – 1. श्री दिनेश दायमा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट– 1 व 2

निर्णय दिनांक– 30.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12/10/2015 को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात नम्बर 532/289 रकबा 1.03 है0 भूमि स्थित है इस भूमि पर आने–जाने का रास्ता आम रास्ता आराजी नम्बर 317 से होते हुए बिलानामा आराजी नम्बर 298 रकबा 1.02 है0 के उत्तरी पश्चिमी दिशा मे होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आते जाते है। उक्त रास्ते का मार्क ए से बी से दिग्दर्शित किया जा रहा है। उक्त आवेदन पत्र मे बिनायदावा दिनांक 20/08/2015 को उत्पन्न होना कथन करते हुए अनुतोष मे प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 532/289 मे आने–जाने हेतु विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 298 के उत्तर पश्चिम दिशा मे 12 फीट चौडा रास्ता जिसे नजरी नक्शे मे मार्क ए से बी दर्शाया गया कि आवश्यकता दर्शाते हुए आवेदन पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने

स्वीकार किये जाने आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर विपक्षीगण/अपीलार्थीगण ने अपील पेश की है।

2. यह कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजी नम्बर 532/289 मे पहूॅचने हेतु रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 298 के उत्तर पश्चिम मे स्थित होना अंकित किया है जबकि संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए टु बी को आराजी नम्बर 292 की पश्चिम मेर पर उत्तर दक्षिण लम्बाई मे दर्शित किया है इस प्रकार विरोधाभासी प्लीडिंग्स होते हुए भी आवेदन पत्र स्वीकार करने मे वैधानिक त्रुटि की है। दिनांक 21/04/2016 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामील न्यायालय मे उपस्थित हो जवाब हेतु अवसर चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवसर प्रदान करते हुए आगामी पेशी दिनांक 08/06/2016 को नियत की। पत्रावली को कोर्ट कैम्प रघुनाथपुरा मे दिनांक 16/05/2016 को व फोलोअप कैम्प दिनांक 01/06/2016 को नियत कर प्रकरण एक पक्षीय स्वरूप मे अपीलार्थी संख्या 2 की तामील के अभाव मे निर्णय पारित करते हुए निस्तारित करने मे वैधानिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 21/04/2016 को अप्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित हुए जिसमे जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 08/06/2016 को निर्धारित थी परन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 16/05/2016 को पत्रावली कैम्प मे रख दी गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 06/07/2016 निर्धारित की गई जिसके बजाय दिनांक 01/06/2016 को ही पत्रावली निर्णित कर दी गई। कैम्प कोर्ट का न तो नोटिस मिला न ही तामील हुई जिसके कारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नही हो सका। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्णय किया गया है जो एक समरी कार्यवाही है जिसमे मौके की आवश्यकता को देखते हुए निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटि नही की गई है।

मौका रिपोर्ट एवं आवश्यकता को देखते हुए निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई किये बिना निर्णय पारित किया गया है। कैम्प कोर्ट के न तो नोटिस तामील हुए तथा न ही अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 2368/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 01/06/2016 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़